

भूमि विकास बैंक

Chapter-XII

Land Development Banks

67. अध्याय का भूमि विकास बैंकों पर लागू होना— यह अध्याय निम्नलिखित पर लागू होगा:-

- (क) इसमें प्रगणित प्रयोजनों के लिए अल्पकालिक और मध्यम अवधि उधार से भिन्न उधार देने वाले सहकारी बैंक (जिसे इसमें आगे 'भूमि विकास बैंक' कहा गया है) अर्थात्:-
- (i) भूमि सुधार और उत्पादक प्रयोजन;
 - (ii) कृषि प्रयोजनों के लिए मकानों का परिनिर्माण, पुनर्निर्माण या उनकी मरम्मत;
 - (iii) राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3), राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) या राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 24) तथा तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन अभिधारियों या कृषकों द्वारा आवंटन के रूप में या अन्यथा कृषि भूमियों का क्रय या अर्जन;
 - (iv) राजस्थान कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 28) या राज्य के किसी भी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि के अधीन ऋणों का समापन;
 - (v) पशुपालन के विकास के लिए;
- (ख) भूमि विकास बैंक के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा अनुज्ञात कोई अन्य सहकारी बैंक।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति—

- (i) 'अल्पकालिक उधार' से ऐसा उधार अभिप्रेत है जो अठारह मास से कम अवधि के लिए हो;
- (ii) 'मध्यम अवधि उधार' से ऐसा उधार अभिप्रेत है जो अठारह मास से पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिए मंजूर किया जाता है; और
- (iii) 'भूमि सुधार और उत्पादक प्रयोजन' से ऐसा कार्य, सन्निर्माण या क्रियाकलाप अभिप्रेत है जो भूमि की उत्पादकता में बढ़ोतरी करता है और विशिष्टतया इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है, अर्थात्:-

(क) कुओं (जिनमें नलकूप सम्मिलित हैं), तालाबों और ऐसे अन्य संकर्मों का सन्निर्माण और मरम्मत, जो कृषि प्रयोजन के लिए या मनुष्यों और कृषि में नियोजित पशुओं के उपयोग के लिए जल के भण्डारकरण, प्रदाय या वितरण के लिए हों;

(ख) पूर्वगामी संकर्मों में से किसी का नवीकरण या पुनर्निर्माण या उनमें परिवर्तन या परिवर्धन;

(ग) भूमि को सिंचाई के लिए तैयार करना;

(घ) जल निकास, कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि या कृषि योग्य बंजर भूमि का नदियों और अन्य जलाशयों से उद्धार या बाढ़ से या जल से होने वाले क्षय या अन्य हानियों से संरक्षण;

(ङ) मेड़बंदी और इसी प्रकार के अन्य सुधार;

(च) कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का उद्धार, उसकी सफाई तथा बाड़ाबंदी या उसमें स्थायी सुधार;

(छ) उद्यान-कृषि;

(ज) इसमें वर्णित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए तेल-इंजन, पंपिंग सैट और विद्युत मोटरों का क्रय;

(झ) ट्रैक्टर या कृषि सम्बन्धी अन्य मशीनों का क्रय;

(ञ) भूमि में विशेष प्रकार की मृदा मिलाकर उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना;

(ट) स्थायी फार्म हाउसों, पशुशालाओं और किसी भी प्रकार पर कृषि उपज का प्रसंस्करण

करने के लिए शैडों का सन्निर्माण;

- (ठ) गन्ना पेरने की, गुड़ या खांडसारी या चीनी बनाने की मशीनों का क्रय;
- (ड) राजस्थान जोत (समेकन और खंडकरण निवारण) अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 24) के अधीन जोतों के समेकन के लिए भूमि का क्रय; और
- (ढ) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजन के लिए सुधार या उत्पादक प्रयोजन घोषित करे।

67. Application of chapter to Land Development Banks.— This Chapter shall apply to-

- (a) co-operative banks advancing loans other than short term and medium term loans, for the purposes herein enumerated, (hereinafter referred to as “Land Development Banks”) that is to say -
 - (i) land improvement and productive purposes;
 - (ii) the erection, rebuilding or repairing of houses for agricultural purposes;
 - (iii) the purchase or acquisition of agricultural lands by tenants or agriculturists by way of allotment or otherwise under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955), the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) or the Rajasthan Colonisation Act, 1954 (Act No. 24 of 1954) and rules made thereunder;
 - (iv) the liquidation of debts under the Rajasthan Relief of Agricultural Indebtedness Act, 1957 (Act No. 28 of 1957) or any corresponding law for the time being in force in any part of the State;
 - (v) for the development of animal husbandry;
- (b) any other co-operative bank permitted by the Registrar to function as a Land Development Bank.

Explanation :— For the purposes of this section, the expressions-

- (i) "Short term loan" means a loan for the duration of less than eighteen months;
- (ii) "medium term loan" means a loan granted for a period ranging from eighteen months to five years; and
- (iii) "land improvement and productive purposes" means any work, construction or activity which adds to the productivity of the land and, in particular, includes the following, that is to say:-
 - (a) construction and repairs of wells (including tubewells), tanks and other works for the storage, supply or distribution of water for the purpose of agriculture, or for the use of men and cattle employed in agriculture;
 - (b) renewal or reconstruction of any of the foregoing works, or alterations therein, or additions thereto;
 - (c) preparation of land for irrigation;
 - (d) drainage, reclamation from rivers or other waters, or protection from floods or from erosion or other damage by water, of land used for agricultural purposes of waste land which is culturable;
 - (e) bunding and similar improvements;
 - (f) reclamation, clearance and enclosure or permanent improvement of land for agricultural purposes;
 - (g) horticulture;
 - (h) purchase of oil engines, pumping sets and electrical motors for any of the purposes mentioned herein;
 - (i) purchase of tractors or other agricultural machinery;
 - (j) increase of the productive capacity of land by addition to it of special variety of soil;
 - (k) construction of permanent farm-houses, cattle-sheds, and sheds for

processing of agricultural produce at any stage;

- (l) purchase of machinery for crushing sugarcane, manufacturing Gur or Khandsari or Sugar;
- (m) purchase of land for consolidation of holdings under the Rajasthan Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1954 (Act No. 24 of 1954); and
- (n) such other purposes as the State Government may from time to time, by notification in the Official Gazette, declare to be improvement or productive purposes for the purpose of this Chapter.

68. राज्य और अन्य भूमि विकास बैंक— (1) राजस्थान राज्य के लिए एक राज्य भूमि विकास बैंक होगा तथा इतने भूमि विकास बैंक होंगे जितने आवश्यक समझे जायें।

(2) राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि या लिखत में किसी भूमि बंधक बैंक के प्रति निर्देश का अर्थ इस अधिनियम के प्रारम्भ से, इस अध्याय के अर्थान्तर्गत भूमि विकास बैंक के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।

68. State and other Land Development Banks.— (1) There shall be a State Land Development Bank for the State of Rajasthan and as many Land Development Banks as may be deemed necessary.

(2) A reference to Land Mortgage Bank in any law, or instrument, for the time being in force in the State, shall, with effect from the commencement of this Act, be construed as a reference to a Land Development Bank within the meaning of this Chapter.

69. न्यासी की नियुक्ति, शक्तियां और कृत्य— (1) राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों के धारकों के प्रति उक्त बैंक के दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु रजिस्ट्रार, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, न्यासी होगा।

(2) न्यासी उन डिबेंचरों के लिए, जिनके सम्बन्ध में उसकी नियुक्ति हुई है, न्यासी के नाम से एक एकल निगम होगा और जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगम नाम से वाद चला सकेगा और उस नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा।

(3) न्यासी की शक्तियां और उसके कृत्य इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा तथा राज्य भूमि विकास

बैंक और न्यासी के बीच निष्पादित न्यास-लिखत, जैसी वह समय-समय पर उनके बीच आपसी करार से उपान्तरित की जाये, द्वारा विनियमित होंगे।

69. Appointment, powers and functions of trustee.— (1) The Registrar, or any other person appointed by the State Government in this behalf, shall be Trustee for the purpose of securing the fulfilment of the obligations of the State Land Development Bank to the holders of debentures issued by it.

(2) The Trustee shall be a corporation sole by the name of the Trustee for debentures in respect of which he is appointed, and shall have perpetual succession and a common seal, and in his corporate name may sue and be sued.

(3) The powers and functions of the Trustee shall be governed by the provisions of this Act and the instrument of trust executed between the State Land Development Bank and the Trustee as modified from time to time by mutual agreement between them.

70. डिबेंचरों का जारी किया जाना— (1) राज्य सरकार और न्यासी की पूर्व मंजूरी से तथा ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार अधिरोपित करे, भूमि विकास बैंक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहण करते हुए राज्य भूमि विकास बैंक ऐसे अभिदानों के डिबेंचर तीस वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसी ब्याज दर पर, जो वह समीचीन समझे, बंधकों या अर्जित किये जाने वाले बंधकों की या आंशिक रूप से धारित बंधकों की और आंशिक रूप से अर्जित किये जाने वाले बंधकों की और भूमि विकास बैंक की सम्पत्तियों तथा अन्य आस्तियों की प्रतिभूति पर जारी कर सकेगा।

(2) प्रत्येक डिबेंचर में, ऐसी कालावधि, जो उसके जारी किये जाने की तारीख से तीस वर्ष से अधिक की नहीं होगी और जिसके दौरान उसका मोचन किया जा सकेगा, नियत करते हुए एक निबन्धन रखा जायेगा।

(3) राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों पर देय, और किसी भी समय पर बकाया रही कुल रकम—

(क) यदि डिबेंचर, धारित बन्धकों के प्रति जारी किये गये हैं तो—

(i) बन्धकों पर देय रकमों के,

(ii) भूमि विकास बैंकों द्वारा, राज्य भूमि विकास बैंक को धारा 77 के अधीन अन्तरित

या अन्तरित समझी गयी और तत्समय विद्यमान सम्पत्तियों और अन्य आस्तियों के मूल्य के, और

(iii) उपर्युक्त बन्धकों के अधीन संदत्त रकमों के और उस समय पर राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासी के पास अवशिष्ट अप्रतिभूत रकमों के -

योग से अधिक नहीं होगी;

(ख) जहां धारित बन्धकों से भिन्न आधार पर डिबेंचर जारी किये गये हैं, वहां डिबेंचरों पर अभिप्राप्त रकम के उस भाग को, जो किसी बन्धक के अन्तर्गत नहीं है, खण्ड (क) के अधीन संगणित कुल रकम में जोड़ कर प्राप्त की हुई कुल रकम से अधिक नहीं होगी।

70. Issue of debentures.— (1) With the previous sanction of the State Government and the Trustee and subject to such terms and conditions as the State Government may impose, the State Land Development Bank in the discharge of its function as a Land Development Bank may issue debentures of such denominations, for such period not exceeding thirty years, and at such rates of interest, as it may deem expedient, on the security of mortgages, or mortgages to be acquired or partly on mortgages held and partly to be acquired and properties and other assets of the Land Development Banks.

(2) Every debenture may contain a term fixing a period not exceeding thirty years from the date of issue during which it shall be re-deemable.

(3) The total amount due on debentures issued by the State Land Development Bank, and outstanding at any time, shall not exceed-

(a) where debentures are issued against mortgages held, the aggregate of-

(i) the amounts due on the mortgages;

(ii) the value of the properties and other assets transferred or deemed to have been transferred under section 77 by the Land Development Banks to the State Land Development Bank and subsisting at such time, and

(iii) the amounts paid under the mortgages aforesaid and the unsecured amounts remaining in the hands of the State Land Development

Bank or the Trustee at the time;

- (b) where debentures are issued otherwise than on mortgages held, the total amount as calculated under clause (a) increased by such portion of the amount obtained on the debentures as is not covered by a mortgage.

71. राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति— पूर्ववर्ती धारा के अधीन जारी किये गये डिबेंचरों के मूल धन और उन पर ब्याज के लिए या उनके किसी विनिर्दिष्ट भाग के लिए राज्य सरकार ऐसी अधिकतम रकम तक, जिसे राज्य सरकार नियत करे और ऐसी शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार अधिरोपित करना उचित समझे, प्रत्याभूति दे सकेगी।

71. Guarantee by State Government.— The principal of, and interest on, the debentures issued under the preceding section, or any specified portion thereof, may carry the guarantee of the State Government, subject to such maximum amount as may be fixed by the State Government, and to such conditions as the State Government may think fit to impose.

72. सम्पत्ति का न्यासी में निहित होना और आस्तियों पर डिबेंचर धारकों का भार— धारा 70 के उपबंधों के अधीन डिबेंचर जारी किये जाने पर, उक्त धारा की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट बंधकित सम्पत्तियां और अन्य आस्तियां, जो राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा धारित हों, न्यासी में निहित होंगी, और डिबेंचर धारकों का ऐसी समस्त बंधकों और आस्तियों पर तथा उक्त बंधकों के अधीन संदत्त रकम पर और राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासी के पास रहने वाली रकम पर प्लवमान भार रहेगा।

72. Vesting of property in Trustee and debenture holder's charge on assets.— Upon the issue of debentures under the provisions of Section 70, the mortgaged properties and other assets referred to in sub-section (3) of that section held by the State Land Development Bank, shall vest in the Trustee, and the holders of debentures shall have a floating charge on all such mortgages and assets, and on the amount paid under such mortgages, and remaining in the hands of the State Land Development Bank or of the Trustee.

73. भूमि विकास बैंकों की उधार देने और भूमि धारण करने की शक्ति— इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, कोई भूमि विकास बैंक, धारा 67 में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उधार देने के लिए और ऐसी भूमियों को, जिनका कब्जा उसे उस अध्याय के उपबंधों के अधीन अंतरित किया जाये, धारण करने के लिए सक्षम होगा।

73. Powers of Land Development Banks to advance loans and to hold lands.— Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, it shall be competent for a Land Development Bank to advance loans for the purposes referred to in Section 67 and to hold lands the possession of which is transferred to it under the provisions of this Chapter.

74. उधार देने के आवेदनों पर व्यवहार करने की रीति— (1) जब धारा 67 में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए उधार हेतु आवेदन किया जाये तो उस आवेदन के विषय में एक सार्वजनिक नोटिस सभी हितबद्ध व्यक्तियों से, नोटिस में नियत समय और स्थान पर उधार के संबंध में अपने आक्षेप, यदि कोई हों, व्यक्तिशः प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए विहित रीति से दिया जायेगा। सरकार, समय-समय पर, ऐसे व्यक्ति, जिनके द्वारा सार्वजनिक नोटिस दिया जायेगा, और ऐसी रीति जिसके अनुसार आक्षेपों की सुनवाई और उनका निपटारा किया जायेगा, विहित कर सकेगी।


(2) विहित अधिकारी उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत किये गये प्रत्येक आक्षेप पर विचार करेगा और या तो उसे स्वीकार या अस्वीकार करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा :

परन्तु जब किसी आक्षेप द्वारा उठाया गया प्रश्न अधिकारी की राय में इस प्रकार का है कि उसे किसी सिविल न्यायालय को छोड़कर किसी अन्य द्वारा संतोषप्रद रूप से विनिश्चित नहीं किया जा सकता तो वह उस आवेदन पर कार्रवाई उस समय तक के लिए स्थगित कर देगा जब तक कि वह प्रश्न इस प्रकार विनिश्चित न कर दिया जाये।

(3) उप-धारा (1) के अधीन कोई नोटिस इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे समस्त व्यक्तियों को समुचित नोटिस समझा जायेगा जो उस भूमि में, जिसमें सुधार किया जाना या जिसे उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत किया जाना है, हित रखते हैं या उसका दावा करते हैं।

(4) भूमि विकास बैंक ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, इस अध्याय के अधीन उधार देने के प्रयोजनार्थ उचित जांच करने के पश्चात् ऐसे आवेदन पर विचार करेंगे।

74. Mode of dealing with applications for loans.— (1) When an application for a loan is made for any of the purposes mentioned in Section 67, a public notice shall be given of the application in such manner as may be prescribed, calling upon all persons interested to present their objections to the loan, if any, in person, at a time and place fixed therein. The Government may, from time to time, prescribe the persons by whom such public notice shall be given and the manner in which the objections shall be heard and disposed of.



(2) The prescribed officer shall consider every objection submitted under sub-section (1) and make an order in writing either upholding or over-ruling it :

Provided that when the question raised by an objection is, in the opinion of the officer, one of such a nature that it cannot be satisfactorily decided except by a civil court, he shall postpone the proceedings on the application until the question has been so decided.

(3) A notice under sub-section (1) shall, for the purpose of this Act, be deemed to be proper notice to all persons having or claiming interest in the land to be improved, or offered as security for the loan.

(4) Subject to such rules as may be prescribed, the Land Development Banks shall consider such application after due enquiry for the purpose of making loans under this Chapter.

75. उधार देने के आदेश का कतिपय मामलों का निश्चायक होना— भूमि विकास बैंक द्वारा या उस व्यक्ति या समिति द्वारा, जिसे धारा 67 में विनिर्दिष्ट समस्त या किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए उधार देने के लिए बैंक की उपविधियों के अधीन प्राधिकृत किया गया है, किया गया वह लिखित आदेश, जिसके द्वारा, उसमें वर्णित व्यक्ति को या उसकी सहमति से, उसमें विनिर्दिष्ट कार्य के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् उधार स्वीकृत किया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित मामलों का निश्चायक होगा, अर्थात्:-

- (क) कि वर्णित कार्य या वह प्रयोजन, जिसके लिए उधार दिया गया है, धारा 67 के अर्थात्तर्गत, सुधार या, यथास्थिति, उत्पादक प्रयोजन है;
- (ख) कि उस व्यक्ति को, आदेश की तारीख को ऐसा सुधार करने या, यथास्थिति, उत्पादक प्रयोजन के लिए व्यय करने का अधिकार था; और
- (ग) कि सुधार विनिर्दिष्ट भूमि के फायदे के लिए है और उत्पादक प्रयोजन उस भूमि से, जो प्रतिभूति के रूप में प्रतिस्थापित की गयी है, या उसके किसी भाग से, जो भी सुसंगत हो, सम्बन्धित है।

75. Order granting loan conclusive of certain matters.— A written order by the Land Development Bank, or any person or committee authorised under the bye-laws of the Bank to make loans for all or any of the purposes specified in Section 67,

granting, either before or after the commencement of this Act, a loan to or with the consent of a person mentioned therein for the purpose of carrying out the work specified therein, shall, for the purposes of this Act, be conclusive of the following matters, that is to say :-

- (a) that the work described or the purpose for which the loan is granted is an improvement or productive purpose, as the case may be, within the meaning of Section 67;
- (b) that the person had, on the date of the order, a right to make such an improvement, or incur expenditure for productive purpose, as the case may be; and
- (c) that the improvement is one benefiting the land specified and productive purpose concerns the land offered in security, or any part thereof as may be relevant.

76. बन्धक की पूर्विक्ता— (1) भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धक, बन्धक के निष्पादन के पश्चात् राजस्थान कृषि उधार अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 1) के अधीन दिये गये उधार के कारण उत्पन्न सरकार के दावे की तुलना में पूर्विक्ता रखेगा।

(2) राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) में या तत्समय प्रवृत्त तत्समान किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि भूमि विकास बैंक के पक्ष में किया गया बन्धक ऐसी भूमि के सम्बन्ध में है, जिसमें कोई अभिधारी हित रखता है तो ऐसे हित की प्रतिभूति पर बंधक हो सकेगा और बंधकदार के अधिकारों पर ऐसी विधि की अपेक्षाओं की पूर्ति करने में अभिधारी के असफल रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसी विधि के अधीन उस भूमि का और उसमें उसके हित का विक्रय भूमि विकास बैंक के पूर्वभार के अधीन रहते हुए होगा।

76. Priority of mortgage.— (1) A mortgage executed in favour of a Land Development Bank shall have priority over any claim of the Government arising from a loan granted after the execution of the mortgage under the Rajasthan Agricultural Loans Act, 1957 (Act No. 1 of 1957).

(2) Notwithstanding anything contained in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955) or any other corresponding law for the time being in force, where a mortgage in favour of a Land Development Bank is in respect of land in which a

tenant has an interest, the mortgage may be against the security of such interest, and the rights of the mortgagee shall not be affected by the failure of the tenant to comply with the requirements of such law, and the sale of the land and his interest therein under such law shall be subject to the prior charge of the Land Development Bank.

77. भूमि विकास बैंकों के पक्ष में निष्पादित बंधकों का राज्य भूमि विकास बैंक में निहित होना— किसी भूमि विकास बैंक के पक्ष में उसके सदस्यों द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात्, निष्पादित बन्धक और अंतरित समस्त अन्य आस्तियां, ऐसे निष्पादन और अंतरण की तारीख से ऐसे भूमि विकास बैंक द्वारा राज्य भूमि विकास बैंक को अंतरित की हुई समझी जायेंगी और राज्य भूमि विकास बैंक में निहित होंगी।

77. Mortgages executed in favour of Land Development Banks to stand vested in State Land Development Bank.— The mortgages executed in favour of, and all other assets transferred to, a Land Development Bank, by the members thereof, before or after the commencement of this Act, shall with effect from the date of such execution or transfer, be deemed to have been transferred by such Land Development Bank to the State Land Development Bank and shall vest in the State Land Development Bank.

78. भूमि विकास बैंकों के पक्ष में किये गये बन्धकों और पट्टों का रजिस्ट्रीकरण— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) में किसी बात के होते हुए भी, भूमि विकास बैंकों के पक्ष में निष्पादित बन्धकों या पट्टों का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं होगा, किन्तु शर्त यह है कि सम्बन्धित भूमि विकास बैंक, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, उस लिखत की, जिसके द्वारा स्थावर संपत्ति उधार के प्रतिसंदाय को सुनिश्चित करने के लिए बंधक रखी गयी है या पट्टे पर दी गयी है, प्रति उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेज दे, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर बंधक रखी गयी या पट्टे पर दी गयी संपूर्ण संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित है और ऐसा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 51 के अधीन विहित अपनी पुस्तक सं. 1 में, उस प्रति या, यथास्थिति, उन प्रतियों को फाइल करेगा।

78. Registration of mortgages and leases in favour of Land Development Banks.— Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), it shall not be necessary to register mortgages or leases executed in favour of the Land Development Banks, provided that the Land Development Banks

concerned send within such time and in such manner as may be prescribed, a copy of the instrument whereby immovable property is mortgaged or let out for the purpose of securing repayment of the loan to the Registering Officer within the local limits of whose jurisdiction the whole or any part of the property mortgaged or let out is situate, and such Registering Officer shall file a copy or copies, as the case may be, in his Book No. 1 prescribed under Section 51 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908).

79. बन्धककर्ताओं के दिवालिया हो जाने पर बन्धकों को प्रश्नगत न किया जाना— दिवालियापन सम्बन्धी और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धक को इस आधार पर कि उसका निष्पादन सद्भाव से मूल्यवान् प्रतिफल के बदले में नहीं किया गया था, या इस आधार पर कि उसका निष्पादन बन्धककर्ता के अन्य लेनदारों पर बैंक को अधिमान देने के क्रम में किया था, दिवालियापन संबंधी किसी कार्रवाई में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

79. Mortgages not to be questioned on insolvency of mortgagers.— Notwithstanding anything contained in any law relating to insolvency and for the time being in force, a mortgage executed in favour of a Land Development Bank shall not be called in question in any insolvency proceedings on the ground that it was not executed in good faith for valuable consideration, or on the ground that it was executed in order to give the Bank a preference over other creditors of the mortgager.

80. भूमि विकास बैंकों का बंधककर्ता के पूर्व ऋणों के संदाय का अधिकार— (1) जब बंधककर्ता के पूर्व ऋणों के संदाय के लिए भूमि विकास बैंक के पक्ष में किसी बंधक का निष्पादन किया जाये तो ऐसा बैंक, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लिखित नोटिस द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसको ऐसा कोई ऋण देय है, यह अपेक्षा करेगा कि वह उस ऋण का या उसके किसी भाग का संदाय ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से प्राप्त कर ले।

(2) जब ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नोटिस स्वीकार करने में या ऐसा संदाय प्राप्त करने में चूक करता है तो उस ऋण या, यथास्थिति, उसके किसी भाग पर नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् ब्याज लगना बंद हो जायेगा :

परन्तु जब ऐसे किसी ऋण की रकम के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो वह व्यक्ति, जिसको ऐसा ऋण देय है, ऋण के लेखे भूमि विकास बैंक द्वारा दी जाने वाली रकम का संदाय प्राप्त करने के लिए

आबद्ध होगा किन्तु ऐसी प्राप्ति से उस व्यक्ति के अतिशेष वसूल करने के अधिकार पर, यदि कोई हो, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

80. Right of Land Development Banks to pay prior debts of mortgager.—

(1) Where a mortgage is executed in favour of a Land Development Bank for payments of prior debts of the mortgager, such bank shall, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (Central Act 4 of 1882), by notice in writing, require any person to whom any such debt is due, to receive payment of such debt or part thereof from the bank at its registered office, within such period as may be specified in the notice.

(2) Where any such person fails to accept such notice, or to receive such payments, such debts or part thereof, as the case may be, shall cease to carry interest from the expiry of the period specified in the notice :

Provided that where there is a dispute as regards the amount of any such debt, the person to whom such debt is due shall be bound to receive payment of the amount offered by the Land Development Bank towards the debt, but such receipt shall not prejudice the right, if any, of such person to recover the balance claimed by him.

81. संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के कर्त्ताओं द्वारा निष्पादित बन्धक— (1) कृषि भूमि में या कृषि के तरीकों में सुधार करने के लिए, या भूमि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के अन्य किन्हीं साधनों के लिए वित्त व्यवस्था करने के लिए या भूमि क्रय करने के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात्, भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक से लिये गये उधारों के सम्बन्ध में संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के कर्त्ता द्वारा निष्पादित बन्धक संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के समस्त सदस्यों पर किसी भी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, बाध्यकारी होंगे।

(2) अन्य मामलों में जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धक इस आधार पर प्रश्नगत किया जाता है कि संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के कर्त्ता ने बन्धक का निष्पादन ऐसे प्रयोजन के लिए किया था जो उस कुटुम्ब के सदस्यों (चाहे ऐसे सदस्य वयस्क हो गये हों या नहीं) पर बाध्यकारी नहीं है तो, उसे सिद्ध करने का भार, किसी भी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उसका अभिकथन करने वाले पक्ष पर होगा।

81. Mortgages executed by managers of Hindu joint families.— (1) Mortgages in respect of loans by a Land Development Bank or the State Land Develop-

ment Bank either before or after the commencement of this Act, executed by the manager of a Hindu joint family for the improvement of agricultural land or of the methods of cultivation, or for financing any other means to raise the productivity of the land, or for the purchase of land, shall be binding on every member of such joint Hindu family, notwithstanding any law to the contrary.

(2) In other cases, where a mortgage executed in favour of a Land Development Bank or State Land Development Bank either before or after the commencement of this Act, is called in question on the ground that it was executed by the manager of a Hindu joint family for a purpose not binding on the members (whether such members have attained majority or not) thereof, the burden of proving the same shall, notwithstanding any law to the contrary, lie on the party alleging it.

82. 1956 के केन्द्रीय अधिनियम 32 की धारा 8 का बंधकों पर लागू होना— हिन्दू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8 इस उपान्तरण के अध्वधीन रहते हुए कि उसमें न्यायालय के प्रति निर्देश का अर्थ कलक्टर या उसके नामनिर्देशिती के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा, भूमि विकास बैंक के पक्ष में किये गये बंधकों पर लागू होगी तथा कलक्टर या उसके नामनिर्देशिती के आदेश के विरुद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को होगी।

82. Section 8 of the Central Act 32 of 1956 to apply to mortgages.— Section 8 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 shall apply to mortgages in favour of a Land Development Bank, subject to the modification that reference to the court therein shall be construed as reference to the Collector or his nominee, and the appeal against the order of the Collector or his nominee shall lie to the Revenue Appellate Authority.

83. पट्टों पर निर्बन्धन— सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 4) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि विकास बैंक को बन्धक रखी गयी सम्पत्ति का कोई भी बन्धककर्ता बैंक को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना ऐसी किसी सम्पत्ति को न तो पट्टे पर देगा और न ही उस पर कोई अभिधृति अधिकार सृजित करेगा:

परन्तु भूमि विकास बैंक के अधिकार अभिधारी या, यथास्थिति, पट्टेदार के विरुद्ध उसी प्रकार प्रवर्तनीय होंगे मानो वह स्वयं बन्धककर्ता हो।

83. Restrictions on leases.— Notwithstanding anything contained in the

Transfer of Property Act, 1882 (Central Act 4 of 1882), or any other law for the time being in force, no mortgager of property mortgaged to a Land Development Bank, shall, except with the prior information in writing to the Bank, lease or create any tenancy rights on any such property :

Provided that the rights of the Land Development Bank shall be enforceable against the tenant or the lessee, as the case may be, as if he himself were a mortgager.

84. भूमि विकास बैंक द्वारा धन प्राप्त किया जाना और उन्मुक्ति दिया जाना— धारा 77 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बंधक के अधीन देय समस्त धन जब तक उस राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासी द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाये और बंधककर्ता को संसूचित न कर दिया जाये, बंधककर्ता द्वारा भूमि विकास बैंक को संदेय होगा, और ऐसे संदाव उसी प्रकार विधिमान्य होंगे मानो ऐसा बंधक इस प्रकार अंतरित नहीं किया गया है और राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासी द्वारा जारी किये गये और भूमि विकास बैंक को संसूचित तत्प्रतिकूल विनिर्दिष्ट निदेश के अभाव में, भूमि विकास बैंक बंधक के संबंध में वाद चलाने या बंधक के अधीन देय धन की वसूली के लिए कोई अन्य कार्रवाई करने का हकदार होगा।

84. Land Development Bank to receive money and give discharge.—

Notwithstanding anything contained in Section 77, all moneys due under the mortgage, shall, unless otherwise directed by the State Land Development Bank or the Trustee, and communicated to the mortgager, be payable by the mortgager to the Land Development Bank, and such payments shall be as valid as if the mortgage had not been so transferred and the Land Development Bank shall, in the absence of specific direction to the contrary issued by the State Land Development Bank or Trustee, and communicated to the Land Development Bank, be entitled to sue on the mortgage or take any other proceeding for the recovery of the moneys due under the mortgage.

85. बंधकित सम्पत्ति के नष्ट हो जाने या प्रतिभूति के अपर्याप्त हो जाने की दशा में भूमि विकास बैंक की शक्तियाँ— जहां भूमि विकास बैंक को बंधकित कोई सम्पत्ति पूर्णतः या अंशतः नष्ट हो जाती है, या प्रतिभूति किसी भी कारण से अपर्याप्त हो जाती है और सम्पूर्ण प्रतिभूति को पर्याप्त बनाने के लिए यथेष्ट और प्रतिभूति की व्यवस्था करने का या उधार के ऐसे भाग का, जो बैंक द्वारा अवधारित किया जाये, प्रतिसंदाय करने का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने पर भी, यदि बंधककर्ता ऐसी प्रतिभूति की व्यवस्था करने या उधार के ऐसे भाग का प्रतिसंदाय करने में असफल रहे तो शेष उधार तुरन्त देय हुआ

समझा जायेगा और बैंक उसकी वसूली के लिए बंधककर्ता के विरुद्ध धारा 88 या 89 के अधीन कार्रवाई करने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण :— प्रतिभूति इस धारा के अर्थान्तर्गत तब अपर्याप्त समझी जायेगी जब बंधकित सम्पत्ति (जिसमें उस पर किये हुए सुधार कार्य सम्मिलित हैं) का मूल्य, बंधक पर तत्समय देय रकम से, ऐसे अनुपात में, जो भूमि विकास बैंक के नियमों, विनियमों या उपविधियों में विहित किया जाये, अधिक न हो।

85. Power of Land Development Banks where mortgaged property is destroyed or security becomes insufficient.— Where any property mortgaged to a Land Development Bank is wholly or partially destroyed, or for any reason the security is rendered insufficient and the mortgager, having been given a reasonable opportunity by the Bank to provide further security enough to render the whole security sufficient, or to repay such portion of the loan as may be determined by the Bank, has failed to provide such security or to repay such portion of the loan, the remainder of the loan shall be deemed to fall due at once, and the Bank shall be entitled to take action against the mortgager under Section 88 or section 89 for the recovery thereof.

Explanation :— Security shall be deemed insufficient within the meaning of this section, unless the value of the mortgaged property (including improvements made thereon) exceeds the amount for the time being due on the mortgage by such proportion as may be specified in the rules, regulations or the bye-laws of the Land Development Bank.

86. बंधकित सम्पत्ति को विक्रय करने का भूमि विकास बैंक का अधिकार— (1) भूमि विकास बैंकों द्वारा धारा 89 की उप-धारा (3) के अधीन क्रय की गई और धारा 103 के अधीन उन्हें अंतरित की गई सम्पत्ति का व्ययन, ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जो न्यासी द्वारा नियत की जाये, ऐसे बैंकों द्वारा, इस शर्त के अधीन विक्रय द्वारा किया जा सकेगा कि ऐसे विक्रय केवल ऐसे कृषकों के पक्ष में ही होंगे जो राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) या तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि के अधीन भूमि धारण करने के पात्र हों, या उसे उनके द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जायें, पट्टे पर दिया जा सकेगा।

(2) कृषि जोतों की अधिकतम सीमा नियत करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस धारा के अधीन भूमि विकास बैंकों द्वारा भूमि के अर्जन पर या उसे धारण करने पर लागू नहीं होगी।

86. Right of Land Development Bank to sell mortgaged property.—

(1) Property purchased under sub-section (3) of Section 89 by, and the property transferred under Section 103 to, the Land Development Banks may be disposed of by such banks by sale within such period as may be fixed by the Trustee, subject to the condition that such sales shall be in favour only of agriculturists eligible to hold land under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955) or any corresponding law for the time being in force, or may be leased out by them on such terms and conditions as may be laid down by the Government from time to time.

(2) Nothing contained in any law for the time being in force fixing the maximum limit of agricultural holdings shall apply to the acquisition or holding of land by the Land Development Banks under this section.

87. भूमि विकास बैंकों द्वारा उधारों की वसूली— भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये गये समस्त उधार, उन पर प्रभार्य समस्त ब्याज, यदि कोई हो, और ऐसा करने में उपगत हुए खर्च, यदि कोई हों, जब वे शोध्य हो जायें तो, संबंधित भूमि विकास बैंक द्वारा वसूलीय होंगे।

87. Recovery of loans by Land Development Banks.— All loans granted by the Land Development Banks, all interests, if any, chargeable thereon, and costs, if any, incurred in making the same, shall, when they become due, be recoverable by the Land Development Bank concerned.

88. करस्थम् करने की शक्ति— (1) यदि किसी भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बंधक के अधीन संदेय कोई किस्त या ऐसी किस्त का कोई भाग, उनके शोध्य होने की तारीख से, तीन मास से अधिक समय तक असंदत्त रह गया हो तो, ऐसे बैंक की समिति, बैंक को उपलब्ध किसी अन्य उपाय के अतिरिक्त, रजिस्ट्रार या कलक्टर को ऐसी किस्तों या उसके भाग की वसूली, बंधकित भूमि की उपज को, जिसमें उस पर खड़ी फसल भी सम्मिलित है, करस्थम् करके और उसका विक्रय करके किये जाने हेतु आवेदन कर सकेगी।

(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार या, यथास्थिति, कलक्टर सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी उपज को करस्थम् करने और बेचने के प्रयोजन के लिए विहित रीति से कार्रवाई कर सकेगा :

परन्तु किस्त देय होने की तारीख से बारह मास की समाप्ति के पश्चात् कोई भी करस्थम् नहीं किया जायेगा।

(3) करस्थम् की गई सम्पत्ति का मूल्य, यथासंभव निकटतम रूप से, शोध्य रकम, करस्थम् के व्यय और विक्रय के खर्च के बराबर होगा।

88. Power to distrain.— (1) If any instalment payable under a mortgage executed in favour of a Land Development Bank, or any part of such instalment, has remained unpaid for more than three months from the date on which it fell due, the committee of such Bank may, in addition to any other remedy available to the Bank, apply to the Registrar or the Collector for the recovery of such instalments or part thereof, by distraint and sale of the produce of the mortgaged land, including the standing crops thereon.

(2) On receipt of such application, the Registrar or the Collector, as the case may be, may, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (Central Act 4 of 1882), take action in the prescribed manner for the purpose of distraining and selling such produce :

Provided that no distraint shall be made after the expiry of twelve months from the date on which the instalment fell due.

(3) The value of the property distrained shall, as nearly as possible, be equal to the amount due, the expenses of the distraint and the cost of the sale.

89. बंधकित सम्पत्ति का विक्रय— (1) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि विकास बैंक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति बंधक धन या उसके किसी भाग के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में, बैंक को उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय के अतिरिक्त बंधकित सम्पत्ति को, उस गांव में, जिसमें बंधकित सम्पत्ति स्थित है, या लोक समागम के निकटतम स्थान पर, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, लोक नीलाम द्वारा बेचने के लिए सशक्त होगा :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन तब तक न तो कोई कार्रवाई की जायेगी और न ही ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग किया जायेगा, जब तक कि—

(क) इस उप-धारा के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए भूमि विकास बैंक को पहले से ही, कलेक्टर या रजिस्ट्रार द्वारा, बंधककर्ता या बंधककर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आक्षेपों की, यदि कोई हों, सुनवाई किये जाने के पश्चात् प्राधिकृत न कर दिया गया हो;

(ख) ऐसे बंधक धन या उसके किसी भाग के संदाय की अपेक्षा करते हुए निम्नलिखित पर लिखित

नोटिस तामील न कर दिया गया हो,-

- (i) बंधककर्ता पर या बंधककर्ताओं में से प्रत्येक पर;
 - (ii) ऐसे किसी व्यक्ति पर जो, जहां तक बैंक को ज्ञात है, बंधकित सम्पत्ति में कोई हित या उस पर कोई भार रखता है या उसका मोचन कराने के अधिकार में कोई हित या उस पर कोई भार रखता है;
 - (iii) बंधकित ऋण या उसके किसी भाग के संदाय के लिए किसी प्रतिभू पर; और
 - (iv) बंधककर्ता के किसी लेनदार पर, जिसने बंधककर्ता की सम्पदा के प्रशासन संबंधी वाद में, बंधकित सम्पत्ति के विक्रय के लिए डिक्री प्राप्त कर ली है; और
- (ग) नोटिस की तामील हो जाने के पश्चात् तीन मास तक ऐसे बंधक धन या उसके किसी भाग के संदाय में व्यतिक्रम न किया गया हो।

(2) यदि भूमि विकास बैंक किसी व्यतिक्रमी के विरुद्ध धारा 85 या धारा 88 के अधीन या इस धारा के अधीन कार्रवाई करने में असफल रहता है तो राज्य भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक को समुचित कार्रवाई करने का निदेश दे सकेगा और यदि राज्य भूमि विकास बैंक या भूमि विकास बैंक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो न्यासी ऐसी कार्रवाई कर सकेगा। यदि ऐसी कार्रवाई न्यासी द्वारा की जाती है तो इस अध्याय के और नियमों के उपबंध उसके संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त उपबंध में भूमि विकास बैंक के प्रति समस्त निर्देश न्यासी के प्रति निर्देश हैं।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक के लिए इस अध्याय के अधीन बेची गई किसी बंधकित सम्पत्ति का क्रय करना विधिपूर्ण होगा।

89 Sale of mortgaged property.— (1) Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (Central Act 4 of 1882), the Land Development Bank or any person authorised by it in this behalf shall, in case of default of payment of the mortgage money, or any part thereof, have power, in addition to any other remedy available to the Bank, to bring the mortgaged property to sale by public auction in the village in which the mortgaged property is situated or at the nearest place of public resort without the intervention of the Court :

Provided that no action shall be taken under this sub-section and no such power shall be exercised, unless and until—

- (a) the Land Development Bank has been previously authorised by the Collector or the Registrar, to exercise the power conferred under this subsection, after hearing the objections, if any, of the mortgager or mortgagers;
- (b) notice in writing requiring payment of such mortgage money or part thereof has been served upon—
- (i) the mortgager or each of the mortgagers;
 - (ii) any person who has any interest in or charge upon the property mortgaged, or in or upon the right to redeem the same so far as is known to the bank;
 - (iii) any surety for the payment of the mortgaged debt or any part thereof; and
 - (iv) any creditor of the mortgager who has, in a suit for administration of his estate, obtained a decree for sale of mortgaged property; and
- (c) default has been made in payment of such mortgage money or part thereof for three months after the service of notice.

(2) If the Land Development Bank fails to take action against a defaulter under Section 85 or Section 88 or under this section, the State Land Development Bank may direct the Land Development Bank to take appropriate action, and where no action is taken either by the State Land Development Bank or the Land Development Bank, the Trustee may take such action. If such action is taken by the Trustee, the provisions of this Chapter and of any rules shall apply in respect thereto, as if all references of the Land Development Bank in the said provision were references to the Trustees.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, it shall be lawful for a Land Development Bank or the State Land Development Bank to purchase any mortgaged property sold under this chapter.

90. विक्रय की पुष्टि— (1) भूमि विकास बैंक द्वारा धारा 89 के अधीन विक्रय कर दिये जाने पर, उक्त बैंक विक्रय किये जाने की रीति और विक्रय का परिणाम बताते हुए राज्य भूमि विकास बैंक

और रजिस्ट्रार को विहित रीति से रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और राज्य भूमि विकास बैंक, रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, उक्त विक्रय की पुष्टि कर सकेगा या उसे रद्द कर सकेगा।

(2) जब विक्रय धारा 89 के अधीन राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासी द्वारा किया जाये तब, राज्य भूमि विकास बैंक या, यथास्थिति, न्यासी विक्रय किये जाने की रीति और विक्रय का परिणाम बताते हुए, रजिस्ट्रार को, विहित रीति से रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और रजिस्ट्रार विक्रय की पुष्टि कर सकेगा या उसे रद्द कर सकेगा :

परन्तु जब रजिस्ट्रार ही न्यासी हो तब वह ऐसी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा और सरकार विक्रय की पुष्टि कर सकेगी या उसे रद्द कर सकेगी।

90. Confirmation of sale.— (1) On effecting the sale by a Land Development Bank under Section 89, the said Bank shall, in the prescribed manner submit to the State Land Development Bank and the Registrar, a report setting forth the manner in which the sale has been effected and the result of the sale, and the State Land Development Bank may, with the approval of the Registrar, confirm the sale or cancel it.

(2) Where the sale is effected by the State Land Development Bank or the Trustee under Section 89, the State Land Development Bank or the Trustee, as the case may be, shall in the prescribed manner, submit to the Registrar, a report setting forth the manner in which the sale has been effected and the result of the sale and the Registrar may confirm or cancel the sale :

Provided that where the Registrar is the Trustee, he shall submit such report to the Government and the Government may confirm the sale or cancel it.

91. विक्रय के आगमों का निपटारा— (1) धारा 89 के अधीन किये गये और धारा 90 के अधीन पुष्ट किये गये प्रत्येक विक्रय के आगमों का उपयोजन, प्रथमतः विक्रय या प्रयतित विक्रय के संबंध में उपगत समस्त खर्चों, प्रभारों और व्ययों का संदाय करने में, द्वितीयतः ऐसे बंधक के मद्दे, जिसके परिणामस्वरूप बंधकित सम्पत्ति का विक्रय किया गया था, देय समस्त या किसी ब्याज का संदाय करने में और तृतीयतः बंधक के मद्दे देय मूलधन, जिसमें वसूली के आनुषंगिक खर्च और प्रभार सम्मिलित हैं, का संदाय करने में किया जायेगा।

(2) यदि विक्रय के आगमों में से कोई धन अवशिष्ट रहे तो उसका संदाय ऐसे व्यक्ति को, जो अपने आपको विक्रीत सम्पत्ति में हितबद्ध सिद्ध करे या यदि ऐसे व्यक्ति एक से अधिक हों तो, ऐसे

व्यक्तियों को, उनकी संयुक्त रसीद पर या उसमें उनके अपने-अपने हितों के अनुसार, जो कि भूमि विकास बैंक अवधारित करे, किया जायेगा :

परन्तु ऐसे कोई संदाय करने के पूर्व ऐसी अप्रतिभूत देय राशियों का जो-

(क) बंधककर्ता द्वारा भूमि विकास बैंक को देय हों, समायोजन किया जा सकेगा; और

(ख) ऐसे किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा देय हों, जिसका बंधककर्ता ऋणी है, ऐसे सदस्य और भूतपूर्व सदस्य द्वारा दिये गये लिखित प्राधिकार के अधीन और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाये, समायोजन किया जा सकेगा।

91. Disposal of sale proceeds.— (1) The proceeds of every sale effected under Section 89 and confirmed under section 90, shall be applied first in payment of all costs, charges and expenses incurred in connection with the sale or attempted sales, secondly in payment of any or all interest due on account of the mortgage in consequence whereof the mortgaged property was sold, and thirdly in payment of the principal due on account of the mortgage including costs and charges incidental to the recovery.

(2) If there be any residue from the proceeds of sale, the same shall be paid to the persons proving himself interested in the property sold, or if there are more such persons than one, then to such persons upon their joint receipt or according to their respective interest therein, as may be determined by Land Development Bank :

Provided that before any such payments are made, the unsecured dues owing—

(a) from the mortgager to the Land Development Bank may be adjusted; and

(b) from any member or past member to whom the mortgager is indebted, may also be adjusted under the written authority given by such member and past member, and after holding such inquiry as may be deemed necessary.

92. क्रय का प्रमाण-पत्र, सम्पत्ति का परिदान और क्रेता का हक— (1) जहां बंधकित सम्पत्ति का कोई विक्रय धारा 90 के अधीन आत्यंतिक हो गया हो और भूमि विकास बैंक द्वारा सम्पूर्ण विक्रय के आगम प्राप्त कर लिये गये हों तो बैंक क्रेता को विक्रीत सम्पत्ति, विक्रय मूल्य, उसके विक्रय की तारीख, ऐसे व्यक्ति का नाम, जिसे विक्रय के समय क्रेता घोषित किया गया हो और ऐसी तारीख,

जिसको विक्रय आत्यंतिक हो गया हो, प्रमाणित करते हुए, विहित प्ररूप में प्रमाण-पत्र देगा और प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) के अधीन नियुक्त सब-रजिस्ट्रार, जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित है, स्थावर सम्पत्ति से संबंधित अपने रजिस्टर में ऐसे प्रमाण-पत्र की विषयवस्तु दर्ज करेगा।

(2) (क) जहां विक्रीत बंधकित सम्पत्ति, बंधककर्ता के या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के या बंधककर्ता द्वारा, उसे राज्य भूमि विकास बैंक या किसी भूमि विकास बैंक के पक्ष में बंधक रखने के पश्चात् सृजित हक के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अधिभोग में हो और जिसके संबंध में उप-धारा (1) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र दिया गया है तो कलक्टर क्रेता के आवेदन पर ऐसे क्रेता को, या ऐसे क्रेता द्वारा उसकी ओर से परिदान स्वीकार करने हेतु नियुक्त किन्हीं भी व्यक्तियों को, उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाते हुए उसे परिदत्त करने का आदेश देगा।

(ख) जहां विक्रीत सम्पत्ति किसी अभिधारी या ऐसे अन्य व्यक्ति के अधिभोग में हो, जो उसे अधिभोग में रखने का हकदार हो और जिसके संबंध में उप-धारा (1) के अधीन प्रमाण-पत्र दिया गया हो वहां कलक्टर, क्रेता के आवेदन पर और ऐसे अभिधारियों या अन्य व्यक्तियों को नोटिस देने के पश्चात् विक्रय के प्रमाण-पत्र की प्रति सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य स्थान पर चस्पा करके और किसी सुविधाजनक स्थान पर डोंडी पिटवाकर या अन्य रूढ़िक ढंग से अधिभोगी के लिए यह उद्घोषणा करके कि बंधककर्ता के अधिकार, हक और हित क्रेता को अंतरित कर दिये गये हैं, परिदान किये जाने का आदेश देगा।

(3) जब कोई सम्पत्ति धारा 89 के अधीन विक्रय की शक्ति का प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग करते हुए बेची जाती है तो क्रेता का हक इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि विक्रय को प्राधिकृत करने के लिए अपेक्षित परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई थीं या डिक्री या यथोचित नोटिस नहीं दिया गया था या विक्रय की शक्ति का अन्य प्रकार से अनुचित या अनियमित प्रयोग किया गया था:

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जो ऐसी शक्ति के अप्राधिकृत, अनुचित या अनियमित प्रयोग के कारण नुकसान उठाता है, भूमि विकास बैंक के विरुद्ध नुकसानी के रूप में उपचार प्राप्त कर सकेगा।

92. Certificate to purchase, delivery of property, and title of purchases.—

(1) Where a sale of mortgaged property has become absolute under Section 90 and the sale proceeds have been received in full by the Land Development Bank, the bank shall grant a certificate to the purchaser in the prescribed form certifying the property sold, the sale price, the date of its sale, the name of the person who at the time of

the sale is declared to be the purchaser, and the date on which the sale becomes absolute, and upon the production of such certificate, the Sub-Registrar appointed under the Registration Act, 1908(Central Act 16 of 1908), within the limits of whose jurisdiction the whole or any part of the property specified in the certificate is situated, shall enter the contents of such certificate in his register relating to the immovable property.

- (2) (a) Where the mortgaged property sold is in the occupancy of the mortgager, or of some person on his behalf, or some person claiming under a title created by the mortgager, subsequent to the mortgage, in favour of the State Land Development Bank or a Land Development Bank and a certificate in respect thereof has been granted under the sub-section (1), the Collector shall, on the application of the purchaser, order delivery to be made by putting such purchaser or any person appointed by such purchaser to receive delivery on his behalf, in possession of the property.
- (b) Where the property sold is in the occupancy of a tenant or other person entitled to occupy the same, and a certificate in respect thereof has been granted under the sub-section (1), the Collector shall, on the application of the purchaser and after notice to such tenants or other persons, order the delivery to be made by affixing copy of the certificate of sale in a conspicuous place on the property and proclaiming to the occupant by beat of drum or other customary mode at some convenient place, that the right, title and interest of the mortgager have been transferred to the purchaser.
- (3) Where any property is sold in the exercise or purported exercise of a power of sale under Section 89, the title of the purchaser shall not be questioned on the ground that the circumstances required for authorising the sale had not arisen, or due notice of the sale was not given, or the power of sale was otherwise improperly or irregularly exercised :

Provided that any person who suffers damage on account of unauthorised, improper or irregular exercise of such power shall have a remedy in damages against the Land Development Bank.

93. रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाण-पत्र पर ऋणों की वसूली— (1) धारा 58 और 100 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भूमि विकास बैंक द्वारा, उसके किन्हीं भी सदस्यों को उसके द्वारा दी गई किसी राशि की बकाया की वसूली के लिए, किये गये आवेदन पर, और बकाया के संबंध में उसके द्वारा लेखा विवरण दिये जाने पर, रजिस्ट्रार, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, उस विवरण में बकाया के रूप में देय बतायी गयी रकम की वसूली के लिए प्रमाण-पत्र दे सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र देय बकाया के संबंध में अंतिम और निश्चयक होगा। उसमें बताया गयी देय बकाया भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार वसूलीय होगी।

(3) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति बंधककर्ता की सम्पत्ति की सशर्त कुर्की का निदेश देने में तब तक सक्षम होगा जब तक कि भूमि विकास बैंक को देय बकाया और उस पर ब्याज तथा ऐसी बकाया की वसूली में उपगत आनुषंगिक खर्चे संदत्त नहीं कर दिये जाते या ऐसी बकाया के संदाय के लिए रजिस्ट्रार को समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति नहीं दे दी जाती और धारा 101 के उपबंध, इस धारा के अधीन की गई या की जाने वाली किसी सम्पत्ति की सशर्त कुर्की पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

93. Recovery of loans on certificate by Registrar.— (1) Notwithstanding anything contained in Sections 58 and 100, on an application made by a Land Development Bank for the recovery of arrears of any sum advanced by it to any of its members and on its furnishing a statement of account in respect of the arrears, the Registrar may, after making such inquiries as he deems fit, grant a certificate for the recovery of the amount stated therein to be due as arrears.

(2) A certificate by the Registrar under sub-section (1) shall be final and conclusive as to the arrears due. The arrears stated to be due therein shall be recoverable according to the law for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue.

(3) It shall be competent for Registrar or a person authorised by him to direct conditional attachment of the property of the mortgager until the arrears due to the Land Development Bank together with interest and any incidental charges incurred in recovery of such arrears, are paid or security for payment of such arrears is furnished to the satisfaction of the Registrar and the provisions of Section 101 shall

apply *mutatis mutandis* to conditional attachment of any property made or to be made under this section.

94. निश्चित कालावधि के दौरान कलक्टर द्वारा वसूलियां किया जाना— (1) कलक्टर ऐसी कालावधि के दौरान, जो राज्य सरकार, राजपत्र में किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अधिसूचित करे, किसी भूमि विकास बैंक द्वारा इस निमित्त उसे आवेदन किये जाने पर, भूमि विकास बैंक को देय समस्त राशियां (जिसमें ऐसी वसूली का खर्च सम्मिलित है) वसूल करने के लिए सक्षम होगा।

(2) किसी भूमि विकास बैंक को देय कोई भी रकम, कलक्टर या इस निमित्त कलक्टर द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निम्नलिखित में किसी एक या अधिक ढंग से वसूलीय होगी, अर्थात् :-

- (क) किसी उधार लेने वाले से उसी प्रकार मानो वह उसके द्वारा देय भू-राजस्व की बकाया हो;
- (ख) ऐसी भूमि से, जिसके फायदे के लिए ऋण दिया गया हो, उसी प्रकार मानो वह उक्त भूमि के संबंध में देय भू-राजस्व की बकाया हो;
- (ग) किसी प्रतिभू, यदि कोई हो, से उसी प्रकार मानो वह उसके द्वारा देय भू-राजस्व की बकाया हो; और
- (घ) किसी संपार्श्विक प्रतिभूति, यदि कोई हो, में समाविष्ट सम्पत्ति से, ऐसी भूमि जिस पर राजस्व देय है, के विक्रय द्वारा भू-राजस्व की वसूली की प्रक्रिया के अनुसार।

94. Collector to make recoveries during certain period.— (1) During such period as the State Government may, by general or special order notify in the Official Gazette, it shall be competent for the Collector, on application being made to him in this behalf by a Land Development Bank, to recover all sums due to the Land Development Bank (including the cost of such recovery).

(2) Any amount due to a Land Development Bank shall be recoverable by the Collector, or any officer specially authorised by the Collector in this behalf, in all or any of the following modes, namely :—

- (a) from the borrower, as if they were arrears of land revenue due by him;
- (b) out of the land for the benefit of which the loan has been granted as if they were arrears of land revenue due in respect of that land;

- (c) from a surety, if any, as if they were arrears of land revenue due by him, and
- (d) out of the property comprised in the collateral security, if any, according to the procedure for the realisation of land revenue by the sale of land on which the revenue is due.

95. बैंक के अधिकारियों द्वारा विक्रय में बोली का न लगाया जाना— इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किये जाने वाले स्थावर या जंगम सम्पत्ति के किसी विक्रय में, भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक का कोई अधिकारी या कर्मचारी अथवा उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य सिवाय उस बैंक की ओर से, जिसका कि वह अधिकारी या कर्मचारी है और ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका ऐसे विक्रय के संबंध में कार्य करने का कोई कर्तव्य है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी किसी सम्पत्ति के लिए न तो बोली लगायेगा, न उसमें कोई हित अर्जित करेगा या अर्जित करने का प्रयास करेगा।

95. Officers of Bank not to bid at sales.— At any sale of movable or immovable property, held under the provisions of this Chapter, no officer or employee or any of the family members of the officer or the employee of the Land Development Bank or the State Land Development Bank, except on behalf of the bank of which he is an officer or an employee, and no person having any duty to perform in connection with such sale, shall either directly or indirectly bid for or acquire or attempt to acquire any interest in such property.

96. कतिपय हानियों की पूर्ति करने के लिए प्रत्याभूति निधियों की व्यवस्था— (1) राज्य सरकार भूमि विकास बैंकों द्वारा स्थावर सम्पत्ति पर के ऐसे हकों पर, जो बाद में त्रुटिपूर्ण पाये जायें, दिये जाने वाले ऋणों के फलस्वरूप होने वाली हानियों की पूर्ति के प्रयोजन के लिए या इस अध्याय के अधीन किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिसके लिए राज्य सरकार की राय में पृथक् प्रत्याभूति निधि की व्यवस्था करना या सृजन करना आवश्यक हो, ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जो वह उचित समझे, एक या अधिक प्रत्याभूति निधि गठित करने में सक्षम होगी।

(2) राज्य भूमि विकास बैंक और भूमि विकास बैंक ऐसी निधियों में ऐसी दर से अभिदाय करेंगे जो विहित की जाये और ऐसी निधियों का गठन, अनुरक्षण और उपयोग ऐसे नियमों द्वारा विनियमित होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जायें।

96. Provision for Guarantee Funds to meet certain losses.— (1) It shall be competent for the State Government to constitute one or more Guarantee Funds on

such terms and conditions as it may deem fit, for the purpose of meeting losses that might arise as a result of loans being made by the Land Development Banks, on titles to immovable property subsequently found to be defective or for any other purpose under this Chapter, for which in the opinion of the Government, it is necessary to provide for or create a separate Guarantee Fund.

(2) The State Land Development Bank and the Land Development Banks shall contribute to such funds at such rate as may be prescribed, and the constitution, maintenance and utilisation of such Funds shall be governed by such rules as may be made by the State Government in this behalf.

97. नोटिस की तामील— सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 4) की धारा 102 और 103 के और उसकी धारा 104 के अधीन बनाये किन्हीं भी नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अध्याय के अधीन तामील किये जाने वाले नोटिस के संबंध में लागू होंगे।

97. Service of notice.— The provisions of Sections 102 and 103 of the Transfer of Property Act, 1882 (Central Act 4 of 1882), and of any rules made under Section 104 thereof, shall apply, so far as may be, in respect of all notices to be served under this Chapter.

98. राज्य भूमि विकास बैंक की समिति की भूमि विकास बैंकों का पर्यवेक्षण करने और विनियम बनाने की शक्ति— राज्य भूमि विकास बैंक की समिति को भूमि विकास बैंकों का पर्यवेक्षण करने की साधारण शक्ति होगी और वह सरकार की पूर्व मंजूरी से, निम्नलिखित सभी या इनमें से किन्हीं विषयों के लिए ऐसे विनियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों, अर्थात् :-

- (क) भूमि विकास बैंकों की लेखा पुस्तकों और कार्यवाहियों के निरीक्षण के लिए;
- (ख) ऐसे बैंकों द्वारा उनके लेन-देन के संबंध में विवरणियां और रिपोर्टें प्रस्तुत किये जाने के लिए;
- (ग) ऐसे बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंक के बीच ऐसे लेखाओं के कालिक परिनिर्धारण के लिए, जो राज्य भूमि विकास बैंक को अन्तरित बंधकों पर ऐसे बैंकों द्वारा वसूल की गयी रकमों के संदाय से संबंधित लेखे हों;
- (घ) ऐसे प्ररूप के लिए जिसमें ऐसे बैंकों को उधार के लिए आवेदन किया जायेगा और ऐसी उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्थापित सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए;

- (ड) बंधककर्ताओं से वसूल की गई धनराशियों के विनिधान के लिए;
- (च) ऐसे बैंकों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के लिए;
- (छ) ऐसे बैंकों द्वारा उधार देने के लिए अपनाये जाने वाले कार्यक्रम और नीति के लिए;
- (ज) ऐसे बैंकों द्वारा उधार देने के लिए ली जाने वाली प्रतिभूति के प्रकार और सीमा के लिए; और
- (झ) साधारणतया पक्षकारों के हितों की रक्षा, ऐसे बैंकों के क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने और इस अध्याय के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए प्रयोजन के लिए।

98. Power of committee of State Land Development Bank to supervise Land Development Banks and make regulations.— The committee of the State Land Development Bank shall have a general power of supervision over Land Development Banks and may, with the previous sanction of the Government, make regulations, not inconsistent with this Act or the rules made thereunder, for all or any of the following matters, namely :-

- (a) for the inspection of the account books and proceedings of Land Development Banks;
- (b) for the submission of returns and reports by such banks in respect of their transactions;
- (c) for the periodical settlement of accounts between such banks and the State Land Development Bank, being accounts relating to the payment of the amounts recovered by such banks on mortgages transferred to the State Land Development Bank;
- (d) for the form in which the application to such banks for loans shall be made and for the valuation of properties offered as security for such loans;
- (e) for the investment of moneys realised from the mortgagers;
- (f) for the conditions of service of employees of such banks;
- (g) for the programme and policy to be followed by such banks for making loans;

- (h) for the types and extent of security to be obtained by such banks for advancing loans; and
- (i) generally, for the purpose of safeguarding the interest of the parties, furtherance of activities of such banks, and carrying out the purposes of this Chapter.

□ □